



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022026-270448  
CG-DL-E-25022026-270448

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 932]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2026/फाल्गुन 5, 1947

No. 932]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2026/PHALGUNA 5, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026

**का.आ. 976(अ).**—भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1813(अ), तारीख 22 अप्रैल 2025 द्वारा प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिसकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को 22 अप्रैल 2025 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की प्रत्युत्तर में पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है;

और, सावंतवाड़ी-डोडामार्ग क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व पर विचार करते हुए, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने तारीख 22 मार्च 2024 के अपने निर्णय में, लोकहित वाद सं. 2012 का 179: (आवाज़ फाउंडेशन बनाम भारत संघ) और लोकहित वाद सं. 198 का 2014: (वनशक्ति फाउंडेशन बनाम भारत संघ) में, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, को निदेशित किया कि वह वन्यजीवों और उसके गलियारों सहित संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और संरक्षण के लिए महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में सावंतवाड़ी-डोडामार्ग गलियारे को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् सावंतवाड़ी-डोडामार्ग पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र कहा गया है) घोषित करे;

और, महाराष्ट्र सरकार ने लोकहित वाद सं. 2012 का 179: आवाज़ फाउंडेशन बनाम भारत संघ और लोकहित वाद सं. 2014 का 198: वनशक्ति फाउंडेशन बनाम भारत संघ में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के तारीख 22 मार्च 2024 के निर्णय के अनुपालन में, सं. एस-30/09.14/सी.आर.259/एफ-1, तारीख 11 मार्च, 2025 के द्वारा, सावंतवाड़ी-डोडामार्ग पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की घोषणा के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपना आखिरी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

और, इस क्षेत्र में कई तरह के पेड़-पौधे और जीव-जंतु पाए जाते हैं। इस गलियारे में घने उष्णकटिबंधीय और अर्ध-सदाबहार वन हैं, जो संरक्षित क्षेत्रों के बीच वन्यजीवों की आवाजाही को आसान बनाते हैं, और खतरे में पड़ी या स्थानिक प्रजातियों की स्वस्थ, जीवित आबादी को बनाए रखते हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख जीवों में बाघ (पैंथेरा टाइग्रिस), तेंदुआ (पैंथेरा पार्स), एशियाई हाथी (एलिफस मैक्सिमस इंडिकस), बोनट मकाक (मकाका रेडिएटा), आदि सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण पौधों में किंजल (टर्मिनलिया पैनिकुलाटा), आम (मंगिफेरा इंडिका), सागौन (टेक्टोना ग्रैंडिस), ऐन (टर्मिनलिया एलिप्टिका), और कई अन्य सम्मिलित हैं।

**अब अतः**, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले में आने वाले 25 गांवों में फैले 212.59 वर्ग किलोमीटर के चिन्हित क्षेत्र को सावंतवाड़ी-डोडामार्ग पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करती है।

**1. सावंतवाड़ी-डोडामार्ग पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र का विस्तार और सीमा विवरण.** — सावंतवाड़ी-डोडामार्ग पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में 25 गांव सम्मिलित हैं, जो सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी और डोडामार्ग तालुका में 212.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हैं।

- पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र का मानचित्र उपाबंध क के रूप में संलग्न है;
- पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में आने वाले गांवों की सूची संबंधित तालुकाओं के साथ उपाबंध ख के रूप में संलग्न है।
- पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की बाहरी सीमा पर प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांक उपाबंध ग के रूप में संलग्न हैं;

**2. सावंतवाड़ी-डोडामार्ग पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में परियोजनाएं और क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध हैं.** — पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में निम्नलिखित प्रवर्गों की परियोजनाएं और क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध होंगे: —

**(क) खनन.**— पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों में पत्थर उत्खनन और खनन क्रियाकलापों पर प्रतिबंध रहेगा और कोई भी नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा।

परन्तु, स्थल मूल्यांकन पर आधारित उपाबंध सूची में उल्लिखित गांवों में और उसके आसपास स्थानीय आवासीय मकानों के संनिर्माण, मरम्मत और पारंपरिक सड़क निर्माण तथा रखरखाव कार्यों के लिए अपेक्षित सामग्रियों के सीमित उत्खनन हेतु विशेष अनुज्ञा प्रदान करने का प्राधिकार मानीटरी समिति के पास होगा।

परन्तु यह और कि, ऐसे सभी क्रियाकलाप टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम यूओआई के मामले में 1995 की डब्ल्यू.पी.(सी) सं. 202 और तारीख 4 अगस्त, 2006 में क्रमशः 26 अप्रैल 2023 और 28 अप्रैल 2023 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश और गोवा फाउंडेशन बनाम यूओआई के मामले में 2012 की डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 435 के मामले में क्रमशः 21 अप्रैल, 2014 के आदेश और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस विषय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किए जाएंगे।

**(ख) ताप विद्युत संयंत्र.** — पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन में किसी भी नव ताप विद्युत परियोजना तथा विद्यमान संयंत्रों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

**(ग) उद्योग.** — केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सभी नए 'लाल' प्रवर्ग के उद्योगों और ऐसे विद्यमान उद्योगों के विस्तार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा :

परन्तु जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन यथा परिभाषित स्वास्थ्य देखभाल स्थापनों सहित विद्यमान 'लाल' प्रवर्ग के उद्योग, लागू नियमों और विनियमों के अधीन विस्तार किए बिना पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में बने रहेंगे।

(घ) भवन, संनिर्माण, नगर-क्षेत्र और क्षेत्र विकास परियोजनाएं, — 20,000 वर्ग मीटर और उससे अधिक निर्मित क्षेत्र वाली सभी नई और विस्तारित इमारतें और संनिर्माण परियोजनाएं तथा 50 हेक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्र वाली सभी नई और विस्तारित नगर-क्षेत्र और क्षेत्र विकास परियोजनाएं या 1,50,000 वर्ग मीटर और उससे अधिक निर्मित क्षेत्र वाली परियोजनाएं प्रतिषिद्ध रहेंगी, परंतु विद्यमान विधियों और विनियमों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में विद्यमान आवासीय मकानों की मरम्मत या विस्तार या नवीनीकरण पर कोई निर्बंधन नहीं होगा।

3. पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में परियोजनाओं और क्रियाकलापों के निम्नलिखित प्रवर्गों को विनियमित किया जाएगा: —

(क) जलविद्युत परियोजनाएँ— पम्प स्टोरेज जलविद्युत परियोजनाओं सहित नई जलविद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञा दी जाएगी, अर्थात्:-

- (i) कम से कम तीस प्रतिशत नदियों का पारिस्थितिक प्रवाह दुर्बल मौसम में भी निर्बाध बना रहे, जब तक कि एक व्यापक अध्ययन प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग आधार रेखाएं स्थापित नहीं कर देता;
- (ii) एक संचयी अध्ययन जो प्रत्येक परियोजना के उन नदियों के प्रवाह स्वरूप पर समाघात निर्धारण करता है जिन पर परियोजना संनिर्मित की जा रही है और वन, प्राकृतिक आर्द्रभूमि और जैव विविधता के किसी भी नुकसान पर; और
- (iii) नदी के एक हिस्से में एक परियोजना से दूसरी परियोजना के बीच न्यूनतम दूरी तीन किलोमीटर रखी जाएगी तथा किसी भी समय नदी जलाशय का पचास प्रतिशत से अधिक हिस्सा प्रभावित नहीं होगा।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट “नारंगी या हरा और सफेद” उद्योगों के प्रवर्ग को पर्यावरण विनियमों के सख्त अनुपालन के साथ अनुज्ञा दी जाएगी, किंतु उन उद्योगों के संवर्धन के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे जिनका पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है और जो यथास्थिति “हरा” या “सफेद” उद्योगों के प्रवर्गों में आते हैं।

(ग) पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006, जिसे तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था, की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों के मामले में, जो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में आती हैं, सिवाय उन परियोजनाओं और क्रियाकलापों के, जिन्हें उप पैराग्राफ (1) के अधीन विशिष्ट रूप से प्रतिषिद्ध किया गया है, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति पर विचार करने से पूर्व संचयी प्रभावों और विकास आवश्यकताओं की संवीक्षा की जाएगी और उनका निर्धारण किया जाएगा।

(घ) विशिष्टतया और सुसंगत अधिनियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के परिवर्तन के मामलों में, आवेदन चरण से अनुमोदन तक परियोजना की सभी जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट और वन विभाग, महाराष्ट्र की वेबसाइट पर सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में रखी जाएगी।

(ङ) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन पूर्व सूचित सहमति की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा और परियोजनाओं और क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी।

(च) वन भूमि के मामले में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा तथा सरकारी, राजस्व और निजी भूमि के मामले में राज्य सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना वन, सरकारी, राजस्व या निजी भूमि पर पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी।

4. कार्यान्वयन और मानीटरी तंत्र. — (1) पर्यटन आंचलिक महायोजना सहित वहन क्षमता अध्ययन के आधार पर एक अलग आंचलिक महायोजना, इसके घटक के रूप में, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के लिए तैयार किया जाएगा और इसे इस अधिसूचना के उपबंधों के कार्यान्वयन और ऐसे क्षेत्रों के समग्र सतत विकास के लिए इस

अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(2) आंचलिक महायोजना में खड़ी पहाड़ी ढलानों वाले क्षेत्रों या जोखिम क्षेत्र या उच्च स्तर के कटाव वाले क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा, जहाँ संनिर्माण क्रियाकलाप अनुज्ञात नहीं होंगे। आंचलिक महायोजना के अनुमोदन तक पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के भीतर ऊपर पैराग्राफ 3 में यथा अधिकथित विनियमित क्रियाकलापों के किसी भी विकास को उसके अनुमोदन के लिए मानीटरी समिति को भेजा जाएगा।

(3) इस अधिसूचना के उपबंधों की मानीटरी और प्रवर्तन तथा आंचलिक महायोजना के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य स्तरीय मानीटरी समिति में निहित होगा, जिसकी अध्यक्षता सिंधुदुर्ग जिले के जिला कलेक्टर और सावंतवाड़ी वन प्रभाग के वन संरक्षक, इसके सदस्य सचिव होंगे, इस समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन के एक वर्ष के भीतर किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल संसाधन, मृदा संरक्षण, कृषि और मत्स्य पालन, लोक स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, राज्य सरकार के योजना और पर्यटन विभागों के प्रतिनिधि उचित स्तर पर "पदेन" सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पारिस्थितिकी और पर्यावरण, वन्यजीव के क्षेत्र में किसी ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था तथा गैर-सरकारी संगठन से दो विशेषज्ञों को गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। मानीटरी समिति यथासंभव बार-बार बैठक करेगी, किंतु प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

(5) मानीटरी समिति राज्य सरकार को विद्यमान विनियामक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के उपायों की सिफारिश करेगी, जहां तक उनका संबंध सावंतवाड़ी-डोडामार्ग पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र से है और उन क्रियाकलापों की जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में हैं और जो पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं, सिवाय इसमें यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के, यथास्थिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(6) मानीटरी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत फाईल करने के लिए सक्षम होंगे।

(7) पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में अनुज्ञात परियोजनाओं और क्रियाकलापों की अनापत्ति के पश्चात् की मानीटरी महाराष्ट्र राज्य सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जाएगी और पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में सभी परियोजनाएं जिन्हें पर्यावरणीय अनापत्ति या वन अनापत्ति दी गई है, उनकी मानीटरी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी।

(8) पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में सभी परियोजनाएं, जिन्हें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) या वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन स्थापना या प्रचालन की सहमति दी गई है, की मानीटरी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी और राज्य सरकार मानीटरी समिति की सहायता से सावंतवाड़ी-डोडामार्ग पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के संबंध में द्विवार्षिक रूप से 'स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट' तैयार करेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस अधिसूचना के उपबंधों की मानीटरी और प्रवर्तन में उठाए गए कदमों का ब्यौरा दिया जाएगा और उसे सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में उपलब्ध कराया जाएगा।

(9) केन्द्रीय सरकार, मानीटरी समिति को उसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे।

**5. उल्लंघन के लिए कार्रवाई:** — इस अधिसूचना के उपबंधों के किसी भी उल्लंघन के मामले में, पर्यावरण अधिनियम और अन्य सुसंगत कानूनों के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

**6. उच्चतम न्यायालय के आदेश, आदि:** — इस अधिसूचना के उपबंधों भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित अंतिम आदेशों, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

7. अपील: — (i) मानीटरी समिति के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अपील कर सकेगा।

(ii) इस पैरा के अधीन प्रत्येक अपील ज्ञापन में मामले के तथ्य, उस विनिश्चय या आदेश की विशिष्टियां, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, तथा उस विनिश्चय या आदेश से व्यथित होने का कारण तथा ईप्सित उपचार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव को संबोधित किया जाएगा।


(iii) प्रभावित व्यक्ति द्वारा अपील का प्रत्येक ज्ञापन विनिश्चय या आदेश की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर किया जाएगा।

[फा. सं. 25/01/2025-ईएसजेड]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक-जी

उपाबंध क

सिंधुदुर्ग जिले में पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र सावंतवाड़ी-डोडामर्ग का मानचित्र



## उपाबंध ख

## सिंधुदुर्ग जिले में सावंतवाड़ी-डोडामार्ग पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में आने वाले गांवों की सूची

क्र. सं.	जिला	तालुक	गाँव का नाम
1	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	आसनिये
2	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	पडवे मजगाओं
3	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	भलवाल
4	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	तंबोली
5	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	सरमाले (नेवली सहित )
6	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	डाभिल
7	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	ओटावने
8	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	कोनस
9	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	घरपी
10	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	उडेली
11	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	केसरी
12	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	फंसावडे
13	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	कुंन्नल
14	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	पनटुर्ली
15	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	तालकट
16	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	जोलाम्बे
17	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	कोलज़ार
18	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	शीर्वल
19	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	उघाडे
20	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	कलाने
21	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	भिकेकोनाल
22	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	कुम्भावडे
23	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	खडपाडे
24	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	भेकुर्ली
25	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	फुकेरी

## उपाबंध ग

## सावंतवाडी-डोडामार्ग पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की बाहरी सीमा पर प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश	देशान्तर	क्र. सं.	अक्षांश	देशान्तर
1	15.8813	73.8516	11	15.7397	73.9833
2	15.8931	73.9029	12	15.7496	73.9648
3	15.9228	73.9396	13	15.7524	73.9525
4	15.915	73.9938	14	15.7499	73.9071
5	15.8846	74.02	15	15.7847	73.9355
6	15.8634	73.9947	16	15.8009	73.9464
7	15.8503	73.9908	17	15.8059	73.9225
8	15.8564	74.066	18	15.8317	73.909
9	15.8097	74.0334	19	15.859	73.8932
10	15.7824	74.0008	20	15.8695	73.8885

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2026

**S.O. 976(E).**—WHEREAS a draft notification was published in the Gazette of India, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1813(E), dated the 22<sup>nd</sup> April 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

**AND WHEREAS** copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 22<sup>nd</sup> April 2025;

**AND WHEREAS** objections and suggestions received from the stakeholders in response to the said draft notification were duly considered by the Central Government;

**AND WHEREAS** considering the ecological importance of the Sawantwadi-Dodamarg area, the Hon'ble High Court of Bombay, in its Judgment dated the 22<sup>nd</sup> March, 2024, in PIL No. 179 of 2012: Awaaz Foundation vs. Union of India and PIL No. 198 of 2014: Vanashakti Foundation vs. Union of India, directed the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India to declare Sawantwadi-Dodamarg corridor in Sindhudurg District of Maharashtra as an Ecologically sensitive Area (hereinafter referred to as Sawantwadi-Dodamarg ESA) for the protection and conservation of entire ecosystem, including wildlife and its corridors;

**AND WHEREAS** the Government of Maharashtra in compliance to the said Judgment dated the 22<sup>nd</sup> March, 2024, of the Hon'ble High Court of Bombay in PIL No. 179 of 2012: Awaaz Foundation vs. Union of India and PIL No. 198 of 2014: Vanashakti Foundation vs. Union of India, have submitted the final proposal vide No. S-30/09.14/C.R.259/F-1, dated the 11<sup>th</sup> March, 2025, for declaration of Sawantwadi-Dodamarg ESA to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.

**AND WHEREAS** the region harbor varieties of flora and fauna. The corridor has dense tropical and semi-evergreen forests, facilities essential wildlife movement between protected areas, and maintains healthy, viable

populations of threatened or endemic species. Major fauna in the region includes Tiger (*Panthera tigris*), Leopard (*Panthera pardus*), Asian elephant (*Elephas maximum indicus*), Bonnet macaque (*Macaca radiate*), etc. Important flora of the region includes Kinjal (*Terminalia paniculata*), Mango (*Mangifera indica*), Teak (*Tectona grandis*), Ain (*Terminalia elliptica*), among several others.

**NOW, THEREFORE** in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an identified area of 212.59 square kilometer spreading across 25 villages falling in Sindhudurg district of Maharashtra State, as the Sawantwadi-Dodamarg ESA.

**1. Extent and boundary description of the Sawantwadi - Dodamarg Ecologically Sensitive Area.** — The Sawantwadi-Dodamarg Ecologically-sensitive Area comprises of 25 villages, encompassing an area of 212.59 square kilometer in Sawantwadi and Dodamarg Talukas of Sindhudurg district.

- a) The map of the Ecologically-sensitive Area is appended as **Annexure A**;
- b) The list of villages falling in Ecologically-sensitive Area with respective talukas is appended as **Annexure B**;
- c) The geo-coordinates of prominent points on the outer boundary of the Ecologically-sensitive Area is appended as **Annexure C**;

**2. Projects and activities prohibited in the Sawantwadi-Dodamarg Ecologically-sensitive Area.** —The following categories of projects and activities shall be prohibited in Eco-sensitive Area: —

- (a) **Mining.**— Quarrying and mining activities shall be banned in Eco-sensitive Area and no fresh mining lease shall be granted:

Provide that the monitoring committee shall be authority to grant special permission for limited quarrying of materials required for the construction, repairs of local residential housing and traditional road making and maintenance work in and around the villages mentioned in the annexure list based on site evaluation:

Provided further that all such activities shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 26<sup>th</sup> April, 2023 and the 28<sup>th</sup> April, 2023, respectively in the matter of T.N. Godavarma Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 4<sup>th</sup> August, 2006; and the 21<sup>st</sup> April, 2014 respectively in the matter of Goa Foundation Vs UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012, and the guidelines issued on the subject by the Central Pollution Control Board and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

- (b) **Thermal power plants.** —No new thermal power projects and expansion of existing plants shall be allowed in the Ecologically sensitive Area.
- (c) **Industry.** —All new 'Red' category of industries as specified by the Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board and the expansion of such existing industries shall be banned:

Provided that existing 'Red' category of industries including health care establishments as defined under Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 shall continue in Ecologically sensitive area without their expansion under the applicable rules and regulations.

- (d) **Building, construction, township and area development projects.** — All new and expansion projects of building and construction with built up area of 20,000 square meter and above and all new and expansion townships and area development projects with an area of 50 hectares and above or with built up area of 1,50,000 square meter and above shall be prohibited. Provided that there shall be no restriction on repair or extension or renovation of existing residential houses in the Ecologically-sensitive Area as per prevailing laws and regulations.

**3. The following categories of projects and activities shall be regulated in the Ecologically-sensitive Area as given below:** — (a) Hydropower projects .— New Hydropower projects including Pumped Storage Hydro projects shall be allowed as per the Environment Impact Assessment notification, published vide number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, subject to the following conditions, namely:-

- (i) uninterrupted ecological flow of at least thirty percent of the rivers flow in lean season, till a comprehensive study establishes individual baselines for each project;
- (ii) a cumulative study which assesses the impact of each project on the flow pattern of the rivers on which the project is being constructed and on any loss of forest, natural wetlands and biodiversity; and
- (iii) the minimum distance between one project and the other is maintained at three kilometers on a river stretch and not more than fifty percent of the river basin is affected at any time.

(b) The “Orange or Green and White” category of Industries as specified by the Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board shall be allowed with strict compliance of environmental regulations but all efforts shall be made to promote industries that have low environmental impacts and fall in “Green” or “White” categories of industries, as the case may be.

(c) In the case of activities that are covered in the schedule to the Environment Impact Assessment notification number S.O. 1533 (E), dated 14<sup>th</sup> September, 2006, published by the erst-while Ministry of Environment and Forests and are falling in the Ecologically sensitive Area, except the projects and activities which are specifically prohibited under sub-paragraph (1) thereof shall be scrutinised and assessed for cumulative impacts and development needs before considering for prior environmental clearance by the Ministry of Environment and Forests and climate change under the provisions of the said notification.

(d) In particular and without prejudice to the provisions of the relevant Acts, in cases of diversion of forest land for non-forestry purposes in the Eco-sensitive Area, all information of the project, from application stage to approval shall be placed in the public domain on the website of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and on the website of Forest Department, Maharashtra.

(e) The requirements of prior informed consent under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) shall be complied with and the consent of Gram Sabha for undertaking projects and activities shall be mandatory.

(f) There shall be no felling of trees whether on Forest, Government, Revenue or Private lands, without the prior permission of the State Government in case of forest land, and the respective District Collector in case of Government, Revenue and private land, as per the procedure laid down by the State Government.

**4. Implementation and Monitoring mechanism.**— (1) A separate Zonal Master Plan based on the carrying capacity studies including tourism master plan as its component, shall be prepared for the Ecologically-sensitive Area and approved by the Competent Authority in the State Government within a period of two years from the date of publication of this notification to carry-out implementation of the provisions of this notification and for holistic sustainable development of such areas.

(2) The Zonal Master Plan shall indicate areas on steep hill slopes or areas which lies in hazard zone or high degree of erosion, where construction activities shall not be permitted. Pending approval of the Zonal Master Plan any development of regulated activities as laid down in paragraph 3 above, within the Ecologically-sensitive Area shall be referred to the Monitoring Committee for its approval.

(3) The responsibility for monitoring and enforcement of provisions of this notification and the implementation of the Zonal Master Plan shall vest with the State Level Monitoring Committee headed by the District Collector, Sindhudurg District and Deputy Conservator of Forest, Sawantwadi Forest Division as its Member Secretary, to be constituted by the State Government within one year of publication of this notification.

(4) The Monitoring Committee shall have representatives from the State Pollution Control Board, Water Resources, Soil Conservation, Agriculture and Fisheries, Public Health, Public Works Department, Planning and Tourism Departments of the State Government at the appropriate level as “ex officio” members. Two experts in the domain of ecology and environment, wildlife respectively from a reputed University or Institution and Non-Governmental Organization as non-official members shall be nominated by the State Government after every three-years. The Monitoring Committee shall meet as frequently as possible but not less than once every six months.

(5) The Monitoring Committee shall recommend to the State Government the measures for strengthening of existing regulatory institutions and processes in so far as they concern the Sawantwadi- Dodamarg Ecologically-sensitive Area and based on the actual site-specific conditions, scrutinize the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Ecologically-sensitive Area, except for the prohibited activities as specified thereof, and refer to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(6) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment Act against any person who contravenes the provisions of this notification.

(7) The post clearance monitoring of projects and activities allowed in the Ecologically-sensitive Area shall be carried out by the State Government of Maharashtra, State Pollution Control Board and all projects in the Ecologically-sensitive Area which have been given Environmental Clearance or Forest Clearance shall be monitored at least once a year by the concerned Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(8) All projects in the Ecologically sensitive Area which have been given consent to establish or consent to operate under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 ( 6 of 1974) or the Air (Prevention and Control of

Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) shall be monitored at least once a year by the State Pollution Control Board and the State Government with the help of the Monitoring Committee, and shall prepare ‘State of Health Report’ in respect of Sawantwadi-Dodamarg Ecologically-sensitive Area biennially giving *inter-alia* the details of steps taken in monitoring and enforcement of provisions of this notification and make the same available in the public domain.

(9) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

**5. Action for contravention**— In case of any contravention of the provisions of this notification, action under the provisions of the Environment and other relevant statutes shall be taken accordingly.

**6. Orders of Supreme Court, etc.** — The provisions in this notification shall be subject to the final orders, if any, passed by the Hon’ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

**7. Appeal.** — (i) Any person aggrieved by a decision or order of the Monitoring Committee shall prefer an appeal against such decision or order to the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(ii) Every memorandum of appeal under this paragraph shall precisely states the facts of the case, the particulars of the decision or order appealed against and the reason for being aggrieved by the decision or order and the remedy sought for shall be addressed to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.


(iii) Every memorandum of appeal by the affected person shall be made within ninety days from the date of receipt of the decision or order.

[F. No. 25/01/2025/ESZ]

Dr. S. KERKETTA, Scientist ‘G’

**Annexure A**

**Map of the Sawantwadi-Dodamarg Ecologically sensitive Area in Sindhudurg district**



**Annexure B****List of Villages falling in the Sawantwadi-Dodamarg ESA in Sindhudurg district**

Sr. No.	District	Taluk	Village Name
1	Sindhudurg	Sawantwadi	Asaniye
2	Sindhudurg	Sawantwadi	Padwe Majgaon
3	Sindhudurg	Sawantwadi	Bhalawal
4	Sindhudurg	Sawantwadi	Tamboli
5	Sindhudurg	Sawantwadi	Sarmale (includes Nevli )
6	Sindhudurg	Sawantwadi	Dabhil
7	Sindhudurg	Sawantwadi	Otavane
8	Sindhudurg	Sawantwadi	Konas
9	Sindhudurg	Sawantwadi	Gharpi
10	Sindhudurg	Sawantwadi	Udeli
11	Sindhudurg	Sawantwadi	Kesari
12	Sindhudurg	Sawantwadi	Fansawade
13	Sindhudurg	Dodamarg	Kumbral
14	Sindhudurg	Dodamarg	Panturli
15	Sindhudurg	Dodamarg	Talkat
16	Sindhudurg	Dodamarg	Zolambe
17	Sindhudurg	Dodamarg	Kolzar
18	Sindhudurg	Dodamarg	Shirwal
19	Sindhudurg	Dodamarg	Ughade
20	Sindhudurg	Dodamarg	Kalane
21	Sindhudurg	Dodamarg	Bhikekonal
22	Sindhudurg	Dodamarg	Kumbhawade
23	Sindhudurg	Dodamarg	Khadpade
24	Sindhudurg	Dodamarg	Bhekurli
25	Sindhudurg	Dodamarg	Phukeri

**Annexure C****Geo-coordinates of prominent points on the outer boundary of the Sawantwadi-Dodamarg ESA**

Sr. No.	Latitude	Longitude	Sr. No.	Latitude	Longitude
1	15.8813	73.8516	11	15.7397	73.9833
2	15.8931	73.9029	12	15.7496	73.9648
3	15.9228	73.9396	13	15.7524	73.9525
4	15.915	73.9938	14	15.7499	73.9071
5	15.8846	74.02	15	15.7847	73.9355
6	15.8634	73.9947	16	15.8009	73.9464
7	15.8503	73.9908	17	15.8059	73.9225
8	15.8564	74.066	18	15.8317	73.909
9	15.8097	74.0334	19	15.859	73.8932
10	15.7824	74.0008	20	15.8695	73.8885